(113)

नवीन प्रकरण - 1571/17

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–मुरैना

II/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/1571

द्वारा आज दि. 3-6-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-6-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अमर सिंह पुत्र श्री रामस्वरूप
निवासी – बंधा तहसील अम्बाह
जिला मुरैना (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

ग्याप्रसाद पुत्र श्री सुमैर प्रसाद
शर्मा निवासी – पलू का पुरा
मौजा गूंझ तहसील अम्बाह जिला
मुरैना (म.प्र.)

.......अनावेदक

न्यायालय नायब तहसीलदार अम्बाह जिला मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/2016–17/अ–70 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2017 एवं की जा रही समस्त कार्यवाही के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदक द्वारा ग्राम गूंझ तहसील अम्बाह जिला मुरैना में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 2320, 2321, 2322, 2323 का सीमांकन कराये जाने हेतु आवेदन पत्र अधीक्षक भू–अभिलेख मुरैना के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

2. यहकि, उपरोक्त भूमि के सीमांकन किये जाने से पूर्व आस–पास के मेढिया कृषको को सीमांकन के संबंध में कोई सूचना पत्र नहीं दिया गया। और न ही उनके समक्ष किसी भी प्रकार का कोई सीमांकन ही किया गया ऐसी स्थिति में सीमांकन प्रतिवेदन पंचनामा ...

XXIX(a)-BR(H)-11

(113)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - तीन/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2017/1571

सथान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	